>

Title: Alleged irregularities in the recruitment of executives in Coal India Limited.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे क्षेत्र में जो कोल इंडिया की डब्ल्यू.सी.एल. इकाई है, उसके लिए नई खानों हेतु बहुत सारी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि डब्ल्यू.सी.एल. में 33 नई खानें आने वाली हैं और इनके लिए हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण होने वाला है। जो सी.बी. और एल.ए. एक्ट के अन्तर्गत अधिग्रहण हो रहा है, उसके अनुसार जिलाधीश उनकी भूमि की कीमत तय करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के जिस चन्द्रपुर संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां पर गोरेदीप माइन है, वहां किसानों की भूमि का मूल्य 20 हजार रुपए प्रति एकड़ निकाला गया है। वहां इसके चलते किसानों में बहुत असंतोष है और आन्दोलन हो रहे हैं।

कुछ दिन पहले की घटना आपके ध्यान में आई होगी कि मथुरा एवं अलीगढ़ के आसपास की जो भूमि अधिगृहीत की जा रही थी, उसका 3 लाख रुपए प्रति एकड़ से अधिक दाम दिए जाने के बावजूद वहां किसानों ने आन्दोलन किया।

वहां पर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ का मूल्य निकालने के बाद किसानों में जो असंतोष है, इसके बारे में मैं बार-बार मंत्री जी से मिला हूं, उनको वहां के किसानों के रोष के बारे में अपने पत्रों द्वारा समझाया है। मंत्री जी ने मीटिंग ली और इसके चलते वहां डब्लू.सी.एल. के जो सी.एम.डी. हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जब तक भूमि का मूल्य नहीं बढ़ाया जायेगा, तब तक वहां पर एक भी नई खदान नहीं खुलेगी। यह प्रस्ताव सी.एम.डी., सी.आई.एल. द्वारा मंत्रालय को भेजा गया है, उस पर चर्चा चल रही है। उसके बीच में जिलाधीश, चन्द्रपुर और वहां के डब्लू.सी.एल. के जो बल्लारपुर एरिया के सम्बन्धित अधिकारी हैं, उन लोगों ने वहां पर भूमि अधिग्रहण करने के लिए जबरन किसानों को धमकाया है और घर-घर में यह कहकर झगड़े लगाये हैं, उनके बेटों को यह कहा है कि आप अपने पिताजी को कहिये, हमें भूमि दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे और इसके चलते करीब हर घर में झगड़े कराकर अधिग्रहण करने का प्रयास हो रहा है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसको मानता हूं कि 20 हजार रुपये का जो दाम दिया जा रहा है तो भूमि का कोई मूल्यांकन ही नहीं है।

साथ में उस एरिया में, डब्लू.सी.एल. मे जो कोल इंडिया के अधिकारी हैं, वहां पर कुछ लोकल एम्पलाई हैं, जिनकी वहां पर भूमि जा रही है। उन लोगों को यह धमका कर भूमिं अधिग्रहण के लिए रजामन्द किया जा रहा है कि तुम्हें हम यहां से ट्रंसफर कर देंगे, नहीं तो भूमि की हमको सम्मति दीजिए और इस तरीके से भूमि का अधिग्रहण हुआ है। वहां के डब्लू.सी.एल. के सी.जी.एम. और प्लानिंग आफिसर ने वहां पर बहुत ही गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण किया है। मैं आपको यह बताता हूं कि जो हमारी आर.आर. पालिसी, 2008 है, एल.ए. और सी.बी. एक्ट हैं, इनमें प्रावधान है कि 14(ए) में इसका निगोसिएशन किया जा सकता था, लेकिन वहां पर निगोसिएशन नहीं किया गया और भूमि जबरदस्ती ली गई।

मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि वहां के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और किसानों की भूमि जो जबरदस्ती ली जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए।

इतना ही मैं कहना चाहता हूं।